व्यापार सहूलियत : विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में भारत दो अंक और पिछड़ा

सुशासन सुधारेगा हालात

विश्व बैंक की इस वर्ष की 'ईज टू डू बिजनेस' रिपोर्ट में भारत 142 वें स्थान पर पहुंच गया। पिछड़ने के आधार वही हैं, बिजली-पानी के कनेक्शन जैसे सरकारी महकमों से सम्बंधित कार्यों में अड़ंगे और विलम्ब। अन्य देशों की तुलना में व्यापार और कर सम्बंधी कानून भी कुछ सख्त और जटिल हैं। दूसरे देश इन कानूनों में तेजी से सुधार कर रहे हैं लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो रहा। दूसरी ओर देश की नई सरकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए 'मेक इन इंडिया' जैसे अभियान चला रही है। भारत में सकारात्मक बिजनेस माहौल पर सवाल उठाती यह रिपोर्ट 'मेक इन इंडिया' की सफलता के प्रति भी आशंकाएं जगाती है। कैसे सुधरे व्यापार का माहौल? पढ़िए, क्या कहते हैं जानकार...

कानूनों की समीक्षा हो

पार्थ जे शाह, अध्यक्ष, सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी

वर्ष 2006 से प्रतिवर्ष तैयार की जा रही ये रिपोर्ट किसी देश में बिजनेस माहौल का आकलन करती है। चूंकि यह रिपोर्ट विश्व बैंक बनाता है इसलिए इसकी स्वीकार्यता भी काफी ज्यादा है। दुनिया के सभी निवेशक इस रिपोर्ट को देखते और इससे अपनी निवेश संबंधी राय बनाते हैं। साथ ही अन्य प्रकार की रिपोर्टों जैसे आर्थिक आजादी सूचकांक, प्रापर्टी राइट सूचकांक, मानव विकास सूचकांक में भी इसका कुछ न कुछ असर दिखता है। चूंकि इस रिपोर्ट में जो आंकड़े होते हैं वो परसेप्शन के आधार पर होते हैं इसलिए इनकी वैधता पर कुछ विवाद हो सकता है पर कुल मिलाकर यह रिपोर्ट किसी देश में व्यापार सहुलियत माहौल का मूल्यांकन ठीक करती आ रही है। रिपोर्ट में कई मापदंड हैं जिनके ऊपर किसी देश के व्यापार माहौल को परखा जाता है। भारत ने जिन दो पैमानों पर सबसे खराब प्रदर्शन किया है वो हैं अनुबंध का क्रियान्वयन और भवन निर्माण परमिट का निपटान। इन दोनों पैमानों पर भारत का स्थान 189 देशों में क्रमशः 186 तथा 184 है। अर्थात दुनिया में लगभग सबसे नीचे। अनुबंध क्रियान्वयन में असफलता के दो उदाहरण तो बहुत ही चर्चित रहे हैं। 2 जी स्पेक्ट्रम और कोल खदान के लाइसेंसों का आवंटन निरस्त होना। इसी तरह से कुछ अन्य पैमानों पर भी भारत काफी पीछे है। बिजनेस चालू करने की सरलता में भारत का स्थान 158वां है। कर चुकाने के पैमाने पर 156वां है।

सरकार ने अभी तक टैक्स सरलता, सीमा पार व्यापार सहूलियत आदि की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है।

प्रश्न यह भी उठता है कि पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका जैसे देश भी इस सूचकांक पर भारत से आगे कैसे हैं? इसका बड़ा कारण यह हो सकता है कि कई बार स्थिर और लोकतांत्रिक सरकार लोगों पर नजर रखने, कानून बनाने और उसका पालन कराने के प्रति ज्यादा सचेत होती हैं बजाए उन सरकारों के जहां स्थिरता नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। सरकार में अस्थिरता के चलते सरकारी मशीनरी में अपने आप ही ढिलाई जाती है, यद्यपि यह सरकार का इरादा नहीं होता। अस्थिर देशों की सरकारों को इस बात की सुध लेने की फुरसत ही नहीं होती कि कौन क्या कर रहा है। नतीजतन लोगों को, कंपनियों को ज्यादा आजादी मिल जाती है।

आस्ट्रेलिया से लें सबक

दूसरी वजह, यह सकती है कि भारत में कानून इतने ज्यादा हो गए हैं कि आप कोई भी काम या व्यापार करो, कोई न कोई कानून तो अनजाने में ही सही, टूटना ही है। कानून बनाने का इरादा भले अच्छा रहा हो, पर इसका परिणाम वह नहीं निकलता, जो कि सोचा गया था। कानून की इन सब समस्याओं के मद्देनजर आस्ट्रेलिया जैसे देशों में तो साल में दो दिन होते हैं जबकि संसद कोई नया कानून नहीं बनाती वरन् पुराने कानूनों की समीक्षा करती है और ऐसे कानूनों को जिनके क्रियान्वयन की लागत उनसे होने वाले लाभ से ज्यादा होती है उनको समाप्त करती है। इन दो दिनों को वहां 'रिपील डे' कहा जाता है। उनका लक्ष्य इतने कानूनों को खत्म करने का होता है कि सालभर में 1 अरब डॉलर की बचत उनके क्रियान्वयन की लागत में कमी से हो सके। इंग्लैंड आदि देशों में भी ऐसा किया जाता है । केन्द्र सरकार ने भी इस काम को हाथ में तो लिया है पर अभी सरकार को इस दिशा में काफी दूर जाना है।

नई सरकार ने इस दिशा में और भी कुछ कदम उठाए हैं। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिस्ट्रयल पॉलिसी एंड प्रमोशन को यह जिम्मा दिया गया है कि वह ऐसे उपाय सुझाए जिससे बिजनेस आरंभ करने, विद्युत कनेक्शन आदि लेने में एक दिन से अधिक का समय नहीं लगे। इसी तरह आगामी संसद सत्र में कुछ श्रम कानूनों जैसे इंडिस्ट्रयल डिस्प्यूट एक्ट, अनुबंध श्रमिक कानून, फैक्ट्री एक्ट के सुधार की बात भी की जा रही है। पर सरकार ने अभी तक टैक्स सरलता, सीमा पार व्यापार सहूलियत आदि की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। नई सरकार का लक्ष्य होना चाहिए कि भारत शीर्ष 50 देशों में हो। पूर्ण बहुमत वाली नई सरकार यह कर भी सकती है। खुद विश्व बैंक के अध्यक्ष विगत माह गुजरात में मोदी के काम की इस दिशा में तारीफ भी कर चुके हैं।

(अमित चंद्रा के इनपुट के साथ)

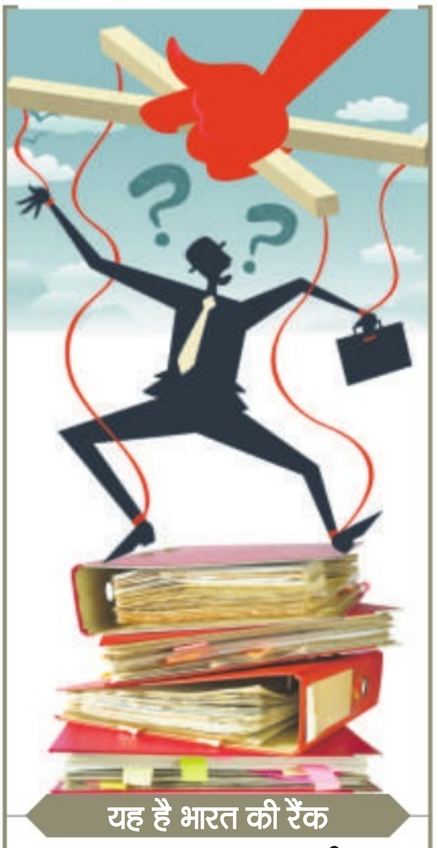

यह है भारत की रैंक

व्यापार शुरू करने की सहुलियत में	158
निर्माण स्वीकृति में समय	184
विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने में	137
सम्पत्ति के पंजीयन में	121
करों के मामले में	156
क्रेडिट प्राप्त करने में	36
सीमापार व्यापार सहुलियत में	126
करार क्रियान्वयन में	186

ऐसे तैयार हुई रिपोर्ट

विश्व के कुल 189 देशों में व्यापार के माहौल के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। जून 2013 से जून 2014 तक की अवधि में दस पैमानों पर आकलन किया गया।

पाकिस्तान भी आगे

देश	रैंक
सिंगापुर	1
हांगकांग	3
अमरीका	7
इंग्लैण्ड	8
जापान	29
रूस	62
चीन	90
श्रीलंका	99
नेपाल	108
पाकिस्तान	128
भारत	142
इराक	156

आईना और चेतावनी

राजीव कुमार, सी. फैलो, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च

विश्व बैंक की यह रिपोर्ट बहुत ही समय पर आई है। यह पिछली सरकार के कर्ताधर्ताओं के लिए आईना सामने रखती है और नई सरकार के लिए चेतावनी की तरह है कि संतुष्ट होकर बैठने का समय नहीं है। नई सरकार को बहुत ही एकचित्त होकर काम करने की जरूरत है। निवेश का माहौल ठीक करना सर्वोच्च प्राथमिकता हो। निवेशकों को आकर्षित करने की दिशा में सतत प्रयास की जरूरत है। यह रिपोर्ट हमारी सरकार और नौकरशाहों के कामकाज पर सख्त टिप्पणी है, क्योंकि केवल चीन ही नहीं, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल आदि देश भी इस सूचकांक पर भारत से ऊपर हैं।

राजस्थान, मध्यप्रदेश आदि राज्य सरकारों के लिए भी यह रिपोर्ट एक खतरे की घंटी है। इन्हें समझना होगा कि सिर्फ एमओयू हो जाने से कुछ नहीं होता। असल काम तो एमओयू पर सहमति हो जाने के बाद शुरू होता है। सबसे बड़ी चुनौती होती है कि हस्ताक्षर हो चुके बिजनेस प्रोजेक्टों को कितनी शीघ्रता और सफलता से जमीन पर उतारा जाए। इसी में राजनीतिक इच्छा शक्ति और नौकरशाही की दक्षता का पता चलता है। बिजनेस करने की सहुलियत के पैमानों का सही आकलन इसी स्तर पर होता है। सिर्फ नेक इरादों वाले कानून बना देने से अथवा हजारों करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर होने से कुछ नहीं होता। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या यही है कि सरकार और निजी उद्यमियों में जो समन्वय की स्थिति दूसरे देशों जैसे जापान या यूरोप आदि में मिलती है, वह हमारे यहां पूरी तरह से नदारद है। बल्कि आज भी नौकरशाहों में इस तरह का भाव पूरी प्रबलता से देखने को मिल जाता है कि 'इस या उस बड़े व्यापारी को हमने आज पूरे पांच घंटे कार्यालय में इंतजार कराया।'

सबसे बड़ी समस्या यही है कि अन्य देशों की तरह सरकार और उद्यमियों में समन्वय की स्थिति नहीं है।

यह भी देखना में आता है कि जो राजनेता अथवा नौकरशाह बिजनेसमैन की आगे बढ़कर मदद करता है उसे शक की नजर से देखा जाता है। उसे बिका हुआ तक समझ लिया जाता है। इसलिए हमें सबसे पहले सामाजिक स्तर पर भी यह सोच बदलनी होगी कि सभी व्यापार और व्यवसाय लोगों के शोषण के लिए नहीं होते हैं। वरन व्यापार और व्यवसाय बढ़ने से ही समाज में समृद्धि आती है, खुशहाली और शांति आती है। इसी से आगे चलकर गरीबी मिटाने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जा सकते हैं।

कर ढांचे में हो स्पष्टता

मनोज पांडा
निदेशक, सेंटर फॉर इकनॉमिक ग्रोथ

भारत में बिजनेस करने में हर स्तर पर प्रशासनिक बाधाओं और जटिलताओं का सामना करना होता है। विश्व बैंक की यह रिपोर्ट मई 2014 तक की अवधि को लेकर है। इसलिए रिपोर्ट में नई सरकार के गठन के बाद व्यापार सहुलियत माहौल में हुआ परिवर्तन प्रतिबिंबित नहीं होता। साथ ही यह भी कहना जरूरी है कि भारत का स्थान 189 देशों की इस सूची में पिछले वर्ष की तुलना में दो अंक इसलिए नहीं गिरा कि भारत ने कोई सुधार नहीं किया, बल्कि इसलिए गिरा है कि भारत की तुलना में अन्य देशों ने अधिक सुधार किया है। इस परिप्रेक्ष्य में नई सरकार के लिए यह सूचकांक एक सबक हो सकता है।

आज के हालात में तो भारत में बिजनेस आरंभ करना जितना कठिन है उससे भी कहीं ज्यादा कठिन होता है अगर कोई बिजनेस चल नहीं पाया तो उसे बंद करना। इस रिपोर्ट में भी व्यापार सुविधा माहौल मापने के पैमानों में एक पैमाना यह भी है। इस दिशा में यूपीए सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं पर अब तक एनडीए सरकार ने भी कुछ नहीं किया है।अगर कोई कंपनी नहीं चल पा रही है, तो उसको दिवालिया घोषित करके ही आर्थिक संसाधनों की बेहतर उपयोग किया जा सकता है। यह बात सरकारों को समझनी होगी।

भारत का स्थान इस सूचकांक में इसलिए नहीं गिरा कि भारत ने कोई सुधार नहीं किया, बल्कि इसलिए गिरा है कि हमारी तुलना में अन्य देशों ने अधिक सुधार दर्ज किया है।

दूसरी बड़ी समस्या है भारत के कर ढांचे और क्रियान्वयन प्रणाली को लेकर। जिनको कर देना है उनको यह समझने में आसानी होनी चाहिए कि आखिर उनके ऊपर कितनी कर देयता होगी। कर लागू करने वाली एजेंसियों को कर संबंधी नियमों की मनमानी व्याख्या नहीं करनी चाहिए। भारत में इस तरह के कई केस आते हैं। अगर किसी कर कानून में कोई अस्पष्टता है भी, तो उसे कर चुकाए जाने से पहले ही सरकार को एक एडवायजरी जारी कर दूर कर देना चाहिए। कर चुकाने के बाद इस तरह के स्पष्टीकरण जारी करने से करदाताओं को असुविधा होती है और उनको अपने व्यापार के लिए भावी योजनाएं बनाना मुश्किल हो जाता है।

अपनाना होगा जीएसटी

दूसरे अन्य मुद्दे जिन पर सरकार को तुरंत ध्यान देने की जरूरत है वो हैं किसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की दिशा में जो प्रक्रियागत बाधाएं होती हैं उन्हें खत्म किया जाए। श्रम कानून के स्तर पर भी अभी काफी अस्पष्टता और जटिलता की स्थिति है इसको भी ठीक करने की जरूरत है। कर ढांचे को भी सरल और समान किया जाना प्राथमिकता होनी चाहिए। जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैकस) की दिशा में बढ़ना एक बेहतर कदम हो सकता है।

यह कहना भी सही नहीं होगा भारत में लोकतंत्र है इसलिए भारत इस दिशा में तेजी से सुधार नहीं कर पा रहा। कई ऐसे देश हैं जो लोकतंत्र होते हुए भी बिजनेस सहुलियत माहौल में भारत से आगे हैं। लोकतंत्र तो व्यापार के लिए भरोसा बढ़ाने वाला कारक होता है। लोकतंत्र में कानून और क्रियान्वयन के स्तर पर एक स्थिरता और निरंतरता होती है जो कि अन्यथा तानाशाही वाले देशों में नहीं होती।